योजना का उद्देश्य

कार्य का नाम : 765 के०वी० डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन पार्ट-3,(पैकेज 08) |
प्रस्तावक : एस०एस०यादव,मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड मैनपुरी |
प्रस्ताव संख्या : FP/UP/TRANS/26448/2017
प्रभावित होने वाली कुल संरक्षित वन भूमि : जनपद-मैनपुरी में 0.7884 हे०, फिरोजाबाद में 0.8072 हे० एवं जनपद में एटा 1.23 हे० |

भारत सरकार, विद्युत् मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11/02/2010-PG(SS,WR-NR) दिनांक: 03/09/2014 द्वारा "अंतर क्षेत्रीय विद्युत् सुद्रीकरण" योजना के अंतर्गत 765 के०वी० डबल सर्किट उरई- अलीगढ पारेषण लाइन निर्माण का महत्वपूर्ण उतरदायित्व पावर ग्रिड को दिया गया है | इस परियोजना के निर्माण से परिक्षेत्र के मैनपुरी ,एटा,फिरोजाबाद अलीगढ़ ,जनपद के आबादी को काफी बड़ी संख्या में विधुत का लाभ होगा एवं इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे |

उक्त परियोजना के निर्माण में जनपद मैनपुरी ,एटा,एवं फिरोजाबाद वन विभाग की क्रमशः 0.7884 हे०,1.23हे०एवं 0.8072हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति लेना आवश्यक होता है उपरोक्त जनपदों में प्रभावित होने वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है|

(एस० एस० यादव)
मुख्य प्रबन्धक
पावरग्रिड, मैनपुरी